सत्यनिष्ठा अनुबंध (आई पी) के महत्वपूर्ण प्रावधान और विशेषताएँ

सत्यनिष्ठा अनुबंध क्या है?

- सत्यनिष्ठा अनुबंध (आई पी) सार्वजनिक ठेका और अधिप्राप्ति में भ्रष्टाचार का विरोध करने में सरकारों, व्यापारों और नागरिक समाज को पारदर्शिता (टी आई) के साथ व्यवहार करने में सहयोग पहुँचाने के उद्देश्य से 1990 के दशक में विकसित एक तंत्र है|
- सत्यनिष्ठा अनुबंध, भ्रष्टाचार की उच्च लागत और प्रभावों को कम करने हेतु पारस्परिक हकों और दायित्वों को स्थापित करता है| इसमें बोली लगाने वालों का पूर्वचयन, बोली लगाना, ठेका, कार्यान्वयन, पूर्ति और निर्वाह से संबंधित सभी ठेकागत गतिविधियाँ आ जाती हैं| इस प्रकार, सत्यनिष्ठा अनुबंध, नैतिक आचरण सहित पारदर्शिता पूर्ण आम ठेका एवं अधिप्राप्ति हेतु अभिप्रेत है|
- यह नागरिक समाज के लिए अनुश्रवण की परिकल्पना भी करता है, जो इसका अंतिम लक्ष्य है|
- सत्यनिष्ठा अनुबंध 2006 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) के समर्थन से लागू किया गया|
- 2006 से, 39 सार्वजनिक उपक्रमों ने सत्यनिष्ठा अनुबंध को अपनाया| विविध सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदन के अनुसार, अधिप्राप्तियों में भ्रष्टाचार को दूर करने में यह एक प्रभावी तंत्र साबित हुआ है|
- सत्यनिष्ठा अनुबंध में सार्वजनिक उपक्रम के ठेकों के लिए सरकार अथवा सरकारी विभाग और बिड्डर के बीच करार पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया होती है|
- इसमें किसी भी पक्ष को रिश्वत न देने, प्रस्ताव न रखने, माँग न करने अथवा स्वीकार न करने अथवा ठेका प्राप्ति अथवा उसे चलाने हेतु प्रतिस्पर्द्धियों में गुटबंदी न करने की प्रतिबद्धता होती है|
- बिड्डर, ठेके के संबंध में किसी को दिये गये सभी कमीशन और इसी प्रकार के भुगतानों का प्रकटीकरण करेगा|
- उल्लंघनों के मामले में प्रतिबंध लागू होंगे| सत्यनिष्ठा अनुबंध में स्वतंत्र अवलोकन और उत्तरदायित्व के लिए अनुश्रवण प्रणाली भी होती है|

कोई कंपनी सत्यनिष्ठा अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों करे?

- सार्वजनिक अधिप्राप्ति और ठेकों में पारदर्शिता के लिए सत्यनिष्ठा अनुबंध एक प्रतिमान है|
- इससे सरकारी ठेकों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ता है और इस प्रकार ठेके की पद्धतियों और आम तौर पर प्रशासन में विश्वसनीयता को बढ़ाने में सहयोग मिलता है|
- यह उन्हें निम्नलिखित अनुसार आश्वासनों के माध्यम से रिश्वत देने से बचने में कंपनी को सक्षम बनाता है -

  (अ) उनके प्रतिस्पर्द्धी भी रिश्वत देने से परहेज करेंगे

  (आ) सरकारी बिड्डिंग प्रणाली और अधिप्राप्ति स्पष्ट रूप से पारदर्शी होगी

  (इ) सरकार न सिर्फ भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेगी, बल्कि अपने प्राधिकारियों द्वारा परेशान किये जानेवाले मामलों में कमी लाएगी तथा पारदर्शी पद्धतियों का अनुसरण करेगी
- यह सरकार और कंपनियों को उच्च लागत कम करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण को बनाए रखने में सहयोग देता है|
- यह निर्णय लेने की प्रक्रिया, देश में आतिथेय निवेश वातावरण में गोपनीयता और विश्वास, और सार्वजनिक समर्थन को बनाए रखता है|

इससे क्या सुनिश्चित होता है?

- क्रेता और खरीददार के बीच अधिक पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा
- ठेकों और निविदाओं के मामलों में बाह्य हस्तक्षेपों का उन्मूलन
- कंपनियों एवं बिड्डरों में नैतिकता में सुधार
- किसी बिड्डर अथवा ठेकेदार से समीक्षा हेतु अभ्यावेदनों/शिकायतों में कमी
- निचले स्तर में सुधार

भारत में क्यों प्रासंगिक है?

- भ्रष्टाचार प्रभावित राष्ट्रों में एक के रूप में भारत की गणना की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शी भ्रष्टाचार संकल्पना सूची (सी पी आई) 2009 के अनुसार 180 राष्ट्रों में भारत को 84 वाँ रैंक प्राप्त है|

- मौजूदा भ्रष्टाचार-विरोधी संगठनों ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन में थोड़ी सी सफलता हासिल की है|
- अधिक लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार भयानक गति से बढ़ रहा है|
- यदाकदा अफवाहों और विलंब से सरकारी ठेकों और अन्य अधिप्राप्तियों पर प्रभाव पड़ता है|
- ऐसे विलंब से अधिप्राप्तियों, कार्य और सार्वजनिक परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है एवं सरकारी खजाना खाली होता है|
- भ्रष्टाचार से गरीब लोगों को अधिक नुकसान पहुँचता है|
- सत्यनिष्ठा अनुबंध मौजूदा पद्धतियों को जोड़नेवाली एक पद्धति है और सार्वजनिक ठेकों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तंत्र है|

सत्यनिष्ठा अनुबंध की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- स्वामी (आपूर्ति, परामर्श, निर्माण एवं/अथवा किसी अन्य सेवा हेतु सार्वजनिक ठेकों का आमंत्रण करनेवाला सरकारी कार्यालय) द्वारा अपने और सहयोगी (बिड्डर, ठेकेदार अथवा आपूर्तिकार) के बीच समझौता (ठेका) किया जाता है|
- स्वामी और सहयोगी वचन देते हैं कि वे कोई रिश्वत अथवा भेंट की माँग अथवा स्वीकार नहीं करेंगे| स्वामी सहमति देता है कि उसके प्राधिकारी ऐसा नहीं करेंगे| किसी उल्लंघन के मामले में वे अनुशासनिक व दंड संबंधी कार्रवाई हेतु बाध्य होंगे| ऐसे ही, बिड्डर आश्वासन देता है कि वह ठेका प्राप्त करने और उसे अपने अधिकार में रखने हेतु कोई रिश्वत नहीं देगा|
- सत्यनिष्ठा अनुबंध के कार्यान्वयन और प्रभावकारिता के निरीक्षण के लिए, दोषरहित सत्यनिष्ठा रखनेवाले और निविदा/ठेके की प्रक्रियाओं का ज्ञान रखनेवाले व्यक्ति को स्वतंत्र बाह्य अनुश्रवक (आई ई एम) के रूप में नियुक्त किया जाता है| स्वतंत्र बाह्य अनुश्रवक निरीक्षकों की सूची केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) द्वारा अनुमोदित की जाती है|
- स्वतंत्र बाह्य अनुश्रवक की सलाह का विवाद के निपटान तंत्र के रूप में उपयोग
- बिड्डर की अपनी प्रतिबद्धताओं अथवा वचनों के किसी उल्लंघन हेतु दंडों की सूची

सत्यनिष्ठा अनुबंध कैसे काम करता है?

- स्वामी और टी आई आई के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाता है|
- सत्यनिष्ठा अनुबंध कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु स्वामी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से वचन लिया जाता है|
- यदि स्वामी की कोई सहायक कंपनी हों तो, उन्हें स्वामी के सत्यनिष्ठा अनुबंध के अनुपालन की सलाह दी जाती है|
- स्वामी द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श के माध्यम से स्वतंत्र बाह्य अनुश्रवक निरीक्षकों का चयन|
- स्वामी के वेबसाइट में सत्यनिष्ठा अनुबंध, स्वतंत्र बाह्य अनुश्रवक निरीक्षकों से संपर्क हेतु फोन नं. और ई-मेल आई डी, और टी आई आई के साथ किये गये समझौता ज्ञापन आदि विवरण दर्शाया जाना|
- सत्यनिष्ठा अनुबंध के कार्यान्वयन और प्रभावकारिता की आवधिक समीक्षा एवं मूल्यांकन|

उल्लंघन एवं उनके परिणाम क्या हैं?

- यदि कोई विक्रेता सत्यनिष्ठा अनुबंध कार्यक्रम के अधीन, अपने वचनों और दायित्वों का उल्लंघन करता है, तो निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं :

(i) बिड की संरक्षा एवं निष्पादन बंध पत्र की हानि

(ii) स्वामी अपने चालू ठेके को रद्द कर सकता है और विक्रेता के साथ व्यापार संबंध तोड़ सकता है|

(iii) भावी कार्यों में विक्रेताओं का निषेध एवं बहिष्कार

******